संख्या-37/2025/144/60-1-2025-सी-1930333

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 26 जून, 2025**

विषय:- जनपद-लखनऊ में संचालित राजकीय विशेषीकृत मोहान रोड, लखनऊ के निर्माण के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् आपके पत्र संख्या-209/निदे0म0क0/लेखा-बा0से0यो0/2025-26, दिनांक 11.06.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत पी०पी०पी० मॉडल पर संचालित राजकीय विशेषीकृत गृह, मोहान रोड, लखनऊ में आन्तरिक जल निकासी व्यवस्था एस०टी०पी० और स्टार्म वॉटर निकासी व्यवस्था संबंधी निर्माण कार्य कराये जाने हेतु लेखाशीर्ष-4235-02-103-07-मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं/गृहों का भवन निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य मानक मद में धनराशि रू0 382.00 लाख (रूपये तीन करोड़ बयासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-02 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत राज्य सरकार की गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,82,00,000 (रुपये तीन करोड़ बयासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-049 लेखाशीर्षक-4235021030700-मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं/गृहों का भवन निर्माण मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-13-E-4-26-X-2025-26, दिनाँक 20.06.2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।